न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 39 / 2020

महेन्द्रसिंह पुत्र सामलिया ,ग्राम अकबरपुर,तहसील कामां जिला भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी कामां ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 02.06.2020

. अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि महेन्द्रसिंह पुत्र सामलिया ,ग्राम अकबरपुर,तहसील कामां जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2020 उपखण्ड अधिकारी कामां से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 238 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कामां से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई । उपखण्ड अधिकारी कामां से उनके कार्यालय के पत्रांक 178 दिनांक 03.04.2020 से जबाब प्राप्त हुआ,जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी कामां ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी कामां से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त जबाव पर गौर किया । उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा अपने जबाव के समर्थन में अपीलान्ट को दी जाने वाली सूचना अथवा उससे किये गए पत्राचार आदि की कोई भी प्रति संलग्न नहीं की गई है । उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त जबाव अस्पष्ट है । इससे यह जाहिर है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उपखण्ड अधिकारी कामां को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी कामां को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.07.02 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested